# पूर्वोत्तर रेलवे
## लखनऊ–मण्डल

कार्यालय,
मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
अशोक मार्ग, लखनऊ
दिनांक–

सं0–ई / 11/
नाम.......................................................................
पिता का नाम.........................................................
पता.......................................................................
.............................................................................

विषयः–रेलवे भर्ती सेल, गोरखपुर से प्राप्त नामिका सं0..................................................
.................................................. वेतनमान................................ ग्रेड पे......................
लेवल..... के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण / नियुक्ति तथा पदस्थापना के संबंध में।
संदर्भः– महाप्रबन्धक(कार्मिक) गोरखपुर का पत्र सं0.....................................................

1– रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में प्रशिक्षु ग्रेड पे............ लेवल......... के पद हेतु प्रेषित आपके आवेदन के संदर्भ में रेलवे भर्ती सैल, गोरखपुर ने अपने पत्र सं0..................................................... ... दिनांक................................ द्वारा आपके नाम को मैरिट क्रमांक............... वेतनमान.......................... .......... ग्रेड पे............. लेवल.............और समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार देय भत्तों पर ................................ के पद हेतु आपको उपयुक्त पाया गया है तथा नियुक्ति हेतु संस्तुति की है। .............................. के पद पर प्रशिक्षण के दौरान आपको वृत्तिका रुपया........................ प्रतिमाह तथा समान्य महगाई भत्ता के साथ नियुक्ति प्रदान करने के लिए रेलवे तैयार है।

2– चूंकि आप प्रशिक्षणार्थी है, इसलिए आपको अपना प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लेने पर वर्किंग पद पर नियुक्ति प्रदान किया जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से प्रारम्भ होगी।

03– ................................ के रूप में प्रशिक्षण की अवधि जिस तिथि को आप पदभार ग्रहण करते है उस तिथि से ............दिन...................... माह.................वर्ष होगी। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर आपकी परीक्षा ली जायेगी आपके उत्तीर्ण हो जाने की स्थिति में आवंटित विभाग में नियमित रेलवे पद पर वेतनमान (... ........................................) में अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जायेगी, अन्यथा यदि आप परीक्षा में सफल नही होते है तो यह रेलवे के स्वयं के निर्णय पर है कि प्रशिक्षण अवधि किसी अवधि के लिए बढ़ा दी जाय अथवा प्रशिक्षणार्थी / प्रशिक्षु के रूप में आपकी सेवा 24 घंटे की नोटिस पर समाप्त कर दी जाय।

04– यह स्पष्ट रूप से नोट कर ले कि किन्हीं कारणों जो आपके नियंत्रण के बाहर है, को छोड़कर आपको प्रशिक्षण से अपना नाम वापस लेने की अनुमति नही दी जायेगी और यह भी कि अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर यदि कार्य पर आपकी नियुक्ति हेतु चयन कर लिया जाता है, तो आपको कम से कम 05 वर्षो के लिए रेल प्रशासन की सेवा करना पड़ेगी यदि प्रशासन द्वारा आवश्यक समझा जायेगा। यदि आप प्रशासन का सेवा कम से कम 05 वर्ष की अवधि के लिए नहीं कर पाते है जैसा कि ऊपर कहा गया है अथवा जानबूझ कर अनुपस्थित रहते हुए या कोई अन्य अनुचित हथकन्डा अपनाते हुए नाम वापस लेने का प्रयास करते है, तो आप आपने प्रशिक्षण के सम्पूर्ण खर्च के साथ ही वृत्तिका / वेतन के रूप में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आपको देय किसी अन्य रकम को वापस करने के भागी होगें। प्रशिक्षण खर्च वेतन और भत्ते (आपके द्वारा लिये गये यात्रा और रनिंग भत्ता छोड़कर) 12.12. प्रतिशत समझा जाय।

क्रमशः

05– यह स्पष्ट रूप से समझ ले कि नियुक्ति 14 दिन के सूचना पर समाप्त की जा सकती है यदि सेवा समाप्ति का कारण आपके मानसिक, शारीरिक, अक्षमता है अथवा भारतीय संविधान के अनुच्छेद (211) के खण्ड–2 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात अनुशासनिक कार्रवाइ के रूप में आपको हटाया जाता है, पदच्युत किया जाता है तो इस प्रकार की सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

06– आपको राज्य निष्ठा की शपथ लेना होगा अथवा नीचे दर्शाये प्रारूप में प्रतिज्ञा करना आवश्यक होगा। मै.................................................. शपथ लेता हूँ/लेती हूँ/अपनी निष्ठा से प्रतिज्ञा करना हूँ कि भारत और विधि द्वारा सम्पादित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एंव निष्ठा रखूं या रखूगी तथा मैं अपने कार्यालय के कार्यो को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से और निष्पक्ष भाव से सम्पादित करूंगा/करूंगी।

**''क'' (ईश्वर मेरी सहायता करें)**

टिप्पणी–शपथ ग्रहण करने से नैतिक आपत्ति करने वाले ऊपर दर्शाये गये विहित प्रारूप मे विधिवत प्रतिज्ञा कर सकते है।

07– आपको अपनी नियुक्ति के सभी नियमों एंव विनियमों के अनुसार बताना होगा।

08– आप पूर्वोत्तर रेलवे के किसी स्टेशन पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आवश्यक रूप से तैयार रहे और आप अपनी स्वीकृति में निश्चित रूप से उल्लेख करें कि आप इस शर्त के प्रति निष्ठा रखेगें।

09– यदि आप इन शर्तो पर नियुक्ति स्वीकार करने के इच्छुक है तो कृपया अपनी स्वीकृति भेजे और इस प्रपत्र को वापस दें। इसकी दूसरी प्रति आपके लिए संलग्न है। इसका नवीनीकरण नहीं होगा। चिकित्सा परीक्षा मे आपको उपर्युक्त प्रमाणित किये जाने के पश्चात जिस तिथि से आप सेवा प्रारम्भ करते है उसी तिथि से वृत्तिका प्रारम्भ होगा।

10– पदभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई यात्रा भत्ता नही दिया जायेगा।

11– रेलवे बोर्ड के पत्रांक सं0–2004 ई(एससीटी)/1/99/2 दिनांक–07.07.2005 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी कोटे के सम्मिलित होने का दावा कर अजा/अजजा/ओबीसी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के कारण आपकी यह नियुक्ति तब तक प्रोविजनल मानी जायेगी जब तक कि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के सत्यता की पुष्टि न हो जाय। यदि उसमें किसी तरह की असत्यता/फर्जी पाई जाती है तो आपकी सेवा बिना कारण बताओं नाटिस के समाप्त कर दी जायेगी तथा आपके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।

12– आप तृतीय श्रेणियों मे अस्थायी रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों एंव शर्तो तथा दिनांक–01.01.2004 से लागू नये प्रेशन प्रणाली से शासित होगें तथा दो वर्ष परिवीक्षा पर कार्यरत होगें इन्हें वेतन का भुगतान इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण के तिथि से देय होगा।

13 (i) यदि प्रशासन द्वारा आवश्यक समझा गया तो दूसरी बार का प्रशिक्षण बिना वृत्तिका अथवा किसी अन्य परिश्रमिक के दिया जायेगा।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षार्थियों कि वृत्तिका सहित दूसरा अवसर और तीसरा अवसर, यदि आवश्यक समझा गया तो बिना वृत्तिका दिया जा सकता है।

(iii) प्रशिक्षणार्थी जिसे दूसरा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिया जाता है प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वालों के नीचे के कम में रखा जायेगा। ऐसे प्रशिक्षणार्थी/प्रशिक्षु जो प्रारम्भिक प्रशिक्षण अनुत्तीर्ण हो जाते है और जिन्हें वृत्तिका दूसरी बार के पाठ्यक्रम में रखा जाय निम्नलिखित शर्तो द्वारा शासित होगें।

a) रेल प्रशासन द्वारा उन्हें वृत्तिका वेतन अथवा किसी प्रकार के भत्ते के रूप के किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। उन्हें कोई पास पीटीओ जारी नहीं किया जायेगा।

b) रेल प्रशासन द्वारा उन्हें वृत्तिका वेतन अथवा किसी प्रकार के भत्ते के रूप में किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं लिया जायेगा। उन्हें कोई पास पीटीओ जारी नही किया जायेगा।

c) उन्हें रेल प्रशासन के अनुशासन एंव आचरण संबंधी सभी सामान्य नियमों एंव विनियमो का अनुपालन

करना होगा।

क्रमशः



d) ये संबंधित रेल प्रशासन के नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन होगी।

e) प्रशिक्षण कोर्स के दौरान उनसे हुई किसी संयंत्र एंव फिटिंग के किसी नुकसान और क्षति के लिए रेल प्रशासन को क्षतिपूर्ति करेगें।

e) ये रेल प्रशासन के कर्मचारी नहीं होगें और इस प्रकार रेल प्रशासन से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत किसी प्रतिकार या नुकसान पाने के हकदार नहीं होगें अथवा दूसरे शब्दों में उन्हें या उनकी सम्पत्ति की हुई किसी क्षति के लिए वे उसके पश्चात कोई दावा नहीं प्रस्तुत करेगें।

g) आवासीय स्थान की सुविधा यदि उपलब्ध रहे तो उन्हें रेल कर्मचारियों जैसे किराये के भुगतान पर दी जायेगी।

h) ये बिना वृत्तिका अपने दूसरी बार के प्रशिक्षण कोर्स के अवधि के दौरन किसी सेवा लाभ के पात्र नहीं होगें। इसलिए उनके प्रारम्भिक प्रशिक्षण और दूसरी बार के प्रशिक्षण और दूसरी बार के प्रशिक्षण की अवधि किसी भी उदेश्य के लिए महत्व नहीं रखेगें।

14– आपको समय–समय पर प्रशासन की जैसी आवश्यकता हो सभी प्रशिक्षण/पुनश्चर्या प्राप्त करना होगा।

15.(क) आपको निर्देशित किया जाता है कि आप निम्न मूल दस्तावेज के साथ दिनांक– ................ तक इस कार्यालय में उपस्थित हो।

(i) शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता एंव जाति (अजा/अजजा/अपिजा) सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण –पत्रों की दो (2) सत्यापित प्रतियां अपने साथ लायें।

(ii) वर्तमान नियोजक (Employer) से भारमुक्त प्रमाण–पत्र यदि अनुमेय हो।

(iii) पासपोर्ट साईज के 08 रंगीन फोटोग्राफ (जो 03 माह से अधिक पुराने न हों)।

(iv) आपको संलग्न Attestation (साक्ष्यांकन) फार्म एंव एनपीएस हेतु सीएसआरएम (एस–1) फार्म की तीन प्रतिया करवाकर पूरी तरह से मूल रूप में भरकर (काली इंक से) अपने साथ लावें (संलग्न दस्तावेजों सहित)

(v) दो चरित्र प्रमाण–पत्र जो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।

(vi) अपने नाम का एक बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति एंव कैंसिल चेक जो कि core Banking का होना चाहिए।

(vii) अपने नाम का पैन कार्ड तथा उसकी सत्यापित छायाप्रति।

(viii) अपने नाम का आधार कार्ड तथा उसकी सत्यापित छायाप्रति।

(ख) आपके द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्रों तथा चरित्र का सत्यापन सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अधिकारी से कराया जायेगा तथा सही पाये जाने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) उपर्युक्त पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा अपेक्षित हो प्रादेशिक सेवा का रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में आठ वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक सैन्य सेवा में और सात वर्ष के लिए

प्रादेशिक सेवा रिजर्व सेवाओं में उस अवधि के लिए समय–सयम पर इस सम्बन्ध में निर्धारित की जा सकती है। सैनिक सेवा के लिए भागी होगा।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ

मै ऊपर बताये गये शर्तो पर प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ कि नियुवित के प्रस्ताव में अनुबन्ध शर्तो के प्रति निष्ठा रखूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर–